

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

का०आ० संख्या-01/स्था०क्षे०-515/2025-

पटना, दिनांक सितम्बर, 2026

कार्यालय आदेश

श्री नरेन्द्र कुमार, ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी के द्वारा दिये गये अनुरोध के आलोक में उन्हें काशी हिंदु विश्वविद्यालय, वाराणसी से PHD कार्यक्रम के शोध लेखन एवं थेसिस तथा अन्य शैक्षणिक दायित्व कार्य पूर्ण करने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में दिनांक-01.10.2026 से 31.03.2027 तक कुल-6 माह का असाधारण छुट्टी (No Work No Pay) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(नवनीत कुमार दूबे)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०क्षे०-515/2025-

पटना, दिनांक सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

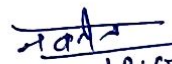
ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०क्षे०-515/2025-1778

पटना, दिनांक 11 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि :- उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी/श्री नरेन्द्र कुमार, ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी/आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.09.2026

सरकार के अवर सचिव।